समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ दिनांकित 13.05.2023

दिनांक–13.05.2023
स्थान– तहसील न्यायालय खटीमा, जिला उधम सिंह नगर।

परिवाद सं0 – 1469 / 2022
राकेश कुमार शर्मा बनाम रोबिन रस्तोगी

उपस्थित–

अध्यक्ष– राष्ट्रीय लोक अदालत– श्री अमित भट्ट।
सदस्य– राष्ट्रीय लोक अदालत– श्रीमती पूनम बिष्ट

पंचाट

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पीठ के समक्ष संदर्भित / प्रस्तुत हुई। परिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–257 दण्ड प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त मामले मे परिवादी ने अपने चैक की सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली है अब कुछ पाना शेष नहीं है। परिवादी अब उक्त मामले को आगे बल नहीं देना चाहता है। इसलिए परिवादी वाद उपरोक्त में स्वेच्छा से निस्तारण करना चाहता हैं। परिवादी पीठ के समक्ष उपस्थित हुआ, परिवादी द्वारा कथन किया गया कि परिवादी का अब अभियुक्त के साथ कोई लेन–देन शेष नहीं है तथा उनके मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः उक्त आधार पर परिवादी को परिवाद वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

परिवादी व उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

धारा–257 दण्ड प्रकिया संहिता प्रावधानित करती है कि यदि परिवादी किसी मामले में न्यायालय के समक्ष समाधान कर देता है कि वह अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद वापस लेना चाहता है। तब न्यायालय पर्याप्त आधार होने पर परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा तथा अभियुक्त को जिसके विरूद्ध परिवाद वापस लिया जाता है, दोषमुक्त कर देगा।

प्रस्तुत मामले में परिवादी द्वारा कोई लेन–देन शेष न होने तथा परिवादी व अभियुक्त के मध्य राजीनामा होने के कारण परिवाद को वापस लेने की इच्छा व्यक्त की है। अतः उक्त परिस्थितियों में परिवादी की प्रार्थना पर परिवाद वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। परिवादी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–257 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी राकेश कुमार शर्मा का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–257 द0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त **रोबिन रस्तोगी** पर लगे आरोप अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0एक्ट से दोषमुक्त किया जाता है। तद्नुसार पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित की जाती है।

पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(श्रीमती पूनम बिष्ट)
सदस्य पीठ सं0–18

(अमित भट्‌ट)
अध्यक्ष पीठ सं0–18
खटीमा, उधम सिंह नगर।